

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042023-244955 CG-DL-E-06042023-244955

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223]

No. 223]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 3, 2023/चैत्र 13, 1945 NEW DELHI, MONDAY, MARCH 3, 2023/CHAITRA 13, 1945

## राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (संशोधन अधिसूचना)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2023

- सं. सी-19011/06/2022/एनएमसी/समन्वय.—राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग अधिनियम, 2019 की धारा 57 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022" में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:
- 1. (i) इन विनियमों को "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम (संशोधन), 2023" कहा जाएगा। (ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवत्त होंगे।
- 2. शीर्षक "समकक्षता के लिए विदेशी स्नातकोत्तर योग्यता के संबंध में सामान्य मानदंड" के तहत उक्त विनियम के खंड 12.3 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाता है:-
  - 12.3. ऐसे मामलों में, यदि उसने भारत में एमबीबीएस अर्हता और भारत में पंजीकरण हेतु पात्र मान्यताप्राप्त स्नातकोत्तर अर्हता उपर्युक्त खंड 12.1 में उल्लिखित पांच अंग्रेजी भाषी देशों में से किसी भी देश से प्राप्त की है और वह उपर्युक्त खंड 12.1 में उल्लिखित मानदंड को पूरा करता/करती है, तो उस पर आयुर्विज्ञान में उसके शैक्षणिक अनुभव के आधार पर समय-समय पर यथासंशोधित चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022 के अनुसार भारत में मेडिकल कॉलेज में शिक्षण कार्य हेतु विचार किया जाएगा।

डॉ. पुलकेश कुमार, सचिव, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग

[विज्ञापन-III/4/असा./003/2023-24]

2263 GI/2023 (1)

टिप्पणी : मूल विनियम अर्थात "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम, 2022" भारत के राजपत्र के भाग–III खंड (4) में राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग की अधिसूचना सं.एनएमसी / एमसीआई-23 (I)/2021 एमईडी द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2022 को प्रकाशित किए गए थे।

## NATIONAL MEDICAL COMMISSION (AMENDMENT NOTIFICATION)

New Delhi, the 31st March, 2023

**No.** C-19011/06/2022/NMC/Coord. .—In exercise of the powers conferred by Section 57 of the National Medical Commission Act, 2019, the National Medical Commission hereby makes the following Regulations to further amend the "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022" namely: -

- 1. (i) These Regulations may be called the "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, (Amendment), 2023.
  - (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. The clause 12.3 of the Regulations, under the heading "General Norms regarding Foreign Postgraduate Qualifications for Equivalence", is replaced with:-
  - 12.3 In such cases, if he/she has acquired MBBS qualification in India and recognized PG qualification, eligible for registration in India, from any of the five English speaking countries, mentioned in Section 12.1 above, and fulfills the criteria mentioned in Section 12.1, then he/she shall be considered for teaching job in medical college in India, as per Teachers Eligibility qualifications in Medical Institutions regulations-2022 as amended from time to time, depending on his/her teaching experience in medical sciences.

Dr. PULKESH KUMAR, Secy., National Medical Commission

[ADVT.-III/4/Exty./003/2023-24]

**Note :** The Principal Regulations namely, "Teachers Eligibility Qualifications in Medical Institutions Regulations, 2022" were published in Part – III, Section (4) of the Gazette of India on the 22<sup>nd</sup>February, 2022, vide National Medical Commission notification No.NMC/MCI-23(I)/2021-MED.